भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3520
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका

3520. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में लालगंज जिला आजमगढ़ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह जानकारी में आया है कि उक्त राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उन्हें आवंटित निधियों का दुर्विनियोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी प्रमुख अम्ब्रेला योजना 'मिशन शक्ति', 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0)' और 'मिशन वात्सल्य' नामक स्कीमों के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण और बाल विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी), व्यय विवरण (एसओई), एसएनए मानकों इत्यादि को प्रस्तुत करने जैसी अपेक्षित अपेक्षाओं को पूरा करने पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से उनके संबंधित अनुपात के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए निर्धारित निधियन पैटर्न के साथ निधियां जारी की जाती हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां एसएनए खाते में उपलब्ध निधियों, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों का अंश होता है, से संवितरित की जाती हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों के दुरूपयोग का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। हालांकि, 31.012.2016 से बंद की गई पूर्ववर्ती राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (आरजीएनसीएस) के तहत एक स्वैच्छिक संगठन के खिलाफ शिशुगृहों के प्रबंधन में अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद, मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को एक प्राथमिकी संख्या 39/2019 दर्ज की गई है।

*****